न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 06/2015 – निगरानी

1. गणेश पुत्र रामबक्ष जाट निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी
2. रामबक्ष पुत्र जगन्नाथ जाट निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी
3. बद्री पुत्र रामबक्ष जाट निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी
4. राजू पुत्र रामबक्ष जाट निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी

बनाम

1. जमना लाल पुत्र रामबक्ष जाट निवासी चावण्डिया तहसील कोटडी
2. ग्राम पंचायत बन का खेडा तहसील कोटडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बन का खेडा तहसील कोटडी
3. सचिव, ग्राम पंचायत बन का खेडा तहसील कोटडी

–प्रार्थीगण

–विपक्षीगण

पुनरीक्षण प्रार्थना विरूद्व आदेश एवं पटटा संख्या 23/98 दिनांक 30.12.1997 एवं 05.05.1998 बाबत् निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

उपस्थित –

1. श्री संजय सेन अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. सुनीता गर्ग अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 26.02.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पुनरीक्षण प्रार्थना विरूद्व आदेश एवं पटटा संख्या 23/98 दिनांक 30.12.1997 एवं 05.05.1998 प्रेषित कर निवेदन किया कि प्रार्थी पुनरीक्षक की जायदाद वाके ग्राम चावण्डिया तहसील कोटडी में स्थित हैं जिसके पास विपक्षी रामबक्स की पुरानी जायदाद हैं, जिसमें पुनरीक्षकगण गणेश, बद्री, राजू का हक हिस्सा व अधिकारी हैं। उक्त जायदाद का उत्तरी भाग लगभग 20 बाई 60 फीट प्रार्थी पुनरीक्षक गणेश ने दिनांक 05.07.1992 को मूल स्वामी भवंरलाल पुत्र बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी चावण्डिया से सप्रतिफल क्रय कर कब्जा प्राप्त किया और इस जायदाद में प्रार्थी पुनरीक्षक गणेश ने 20 बाई 60 फीट में निर्माण कराया एवं इसका आधिपत्यधारी होकर उपयोग उपभोग एवं निवास कर रहा हैं। इसी जायदाद के दक्षिण की तरफ पुश्तैनी मकान लगभग 20 बाई 60 फीट का है जिसमें सभी प्रार्थीगण का आधिपत्य हक एवं अधिकार हैं। इस प्रकार उक्त जायदाद आधी उत्तर की ओर प्रार्थी पुनरीक्षक गणेश की है और आधी दक्षिण की ओर रामबक्ष, गणेश, बद्री व राजू की है। विपक्षी जमना लाल का इस सम्पूर्ण जायदाद या उसके किसी भी भाग पर कोई एक हिस्सा या अधिकारी नहीं हैं। जमना लाल को प्रार्थी के पिता रामबक्ष ने अलग से चावण्डिया क्षैत्र में लगभग पौने दो बीघा जमीन दे दी और स्वंय जमना लाल के कहे अनुसार उसकी रजिस्ट्री भी करवा दी। जिसपर जमना लाल ने निर्माण कराकर निवास कर रहा है और तिजारा होटल के नाम से कारोबार कर रहा है। स्वयं जमना लाल ने प्रार्थी पुनरीक्षकगण गणेश, बद्री और राजू को दिनांक 02.09.1999 को एक लिखित भी दिया हुआ है कि रामबक्ष की व अन्य प्रार्थी पुनरीक्षकगण के नाम से जो जायदाद कुआं मकान आदि हैं उनमें जमना लाल का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं हैं। उक्त स्थिति के होते हुए भी विपक्षी जमना लाल ने बिना प्रार्थी पुनरीक्षकगण की जानकारी में लाये पत्रावली संख्या 24/98 दिनांक 30.12.1997 के द्वारा 40 बाई 60 फीट कुल 2400 वर्गफीट का प्लाट होना बताते हुए पुश्तैनी भूखण्ड

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

बताकर ग्राम पंचायत बनका खेडा से पुश्तैनी पटटा स्वयं के नाम से करवा लिया। जबकि उक्त जायदाद जमना लाल की न तो पैतृक है और न ही जमना लाल का कोई हक व अधिकार हैं। उक्त जायदाद केवल भूखण्ड के रूप में नहीं हैं इस पर प्रार्थी पुनरीक्षक ने पक्के मकान बनाये हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी पुनरीक्षकगण की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बनका खेडा द्वारा पत्रावली संख्या 24/98 दिनांक 30.12.1997 व पटटा संख्या 23/98 दिनांक 05.05.1998 को अपास्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2015 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि जमना लाल को प्रार्थी के पिता रामबक्ष ने अलग से चावण्डिया क्षैत्र में लगभग पौने दो बीघा जमीन दे दी और स्वंय जमना लाल के कहे अनुसार उसकी रजिस्ट्री भी करवा दी। जिसपर जमना लाल ने निर्माण कराकर निवास कर रहा है और तिजारा होटल के नाम से कारोबार कर रहा है। स्वयं जमना लाल ने प्रार्थी पुनरीक्षकगण गणेश, बद्री और राजू को दिनांक 02.09.1999 को एक लिखित भी दिया हुआ है कि रामबक्ष की व अन्य प्रार्थी पुनरीक्षकगण के नाम से जो जायदाद कुआं मकान आदि हैं उनमें जमना लाल का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं हैं। उक्त स्थिति के होते हुए भी विपक्षी जमना लाल ने बिना प्रार्थी पुनरीक्षकगण की जानकारी में लाये पत्रावली संख्या 24/98 दिनांक 30.12.1997 के द्वारा 40 बाई 60 फीट कुल 2400 वर्गफीट का प्लाट होना बताते हुए पुश्तैनी भूखण्ड बताकर ग्राम पंचायत बनका खेडा से पुश्तैनी पटटा स्वयं के नाम से करवा लिया। जबकि उक्त जायदाद जमना लाल की न तो पैतृक है और न ही जमना लाल का कोई हक व अधिकार हैं। उक्त जायदाद केवल भूखण्ड के रूप में नहीं हैं इस पर प्रार्थी पुनरीक्षक ने पक्के मकान बनाये हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी पुनरीक्षकगण की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बनका खेडा द्वारा पत्रावली संख्या 24/98 दिनांक 30.12.1997 व पटटा संख्या 23/98 दिनांक 05.05.1998 को अपास्त किया जावे।

विपक्षी सं. 01 ने दिनांक 17.01.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया हैं। उक्त मकान गणेश ने दिनांक 05.07.1992 को भंवर लाल पुत्र बद्री लाल ब्राह्मण से खरीदना विपक्षी जमनालाल जाट स्वीकार करता हैं तथा उक्त जायदाद बाबत् विपक्षी प्रार्थीगण के स्वामित्व, हक व उपयोग उपभोग व आधिपत्य को भी स्वीकार करता हैं। उक्त जायदाद में विपक्षी जमनालाल जाट का कोई हक व अधिकार नही हैं। पंचायत द्वारा जो पटटा जमनालाल के पक्ष में जारी किया गया हैं , वह प्रार्थी पुनरीक्षकगण के पक्ष में त्याग करता हैं और उक्त जायदाद व पटटे बाबत् अपने समस्त अधिकारों का त्याग करता हैं। अतः जरिये राजीनामा विपक्षी संख्या 01 जमनालाल के पक्ष में जारी पटटा संख्या 23/98 दिनांक 30.12.97 व 05.05.98 खारिज कर दिया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी सं. 01 के द्वारा दिनांक 17.01.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया हैं। उक्त मकान गणेश ने दिनांक 05.07.1992 को भंवर लाल पुत्र बद्री लाल ब्राह्मण से खरीदना विपक्षी जमनालाल जाट स्वीकार करता हैं तथा उक्त जायदाद बाबत् विपक्षी प्रार्थीगण के स्वामित्व, हक व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

उपयोग उपभोग व आधिपत्य को भी स्वीकार करता हैं। उक्त जायदाद में विपक्षी जमनालाल जाट का कोई हक व अधिकार नही हैं। पंचायत द्वारा जो पटटा जमनालाल के पक्ष में जारी किया गया हैं , वह प्रार्थी पुनरीक्षकगण के पक्ष में त्याग करता हैं और उक्त जायदाद व पटटे बाबत् अपने समस्त अधिकारों का त्याग करता हैं। जरिये राजीनामा विपक्षी संख्या 01 जमनालाल के पक्ष में जारी पटटा संख्या 23/98 दिनांक 30.12.97 व 05.05.98 खारिज कर दिया जावे।

विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में पटटा संख्या 23/98 दिनांक 30.12.1997 एवं 05.05.98 को जारी हैं, पटटा जारी होने के पश्चात् विपक्षी संख्या 01 एवं निगराकारान् के मध्य रामबक्ष जाट की कृषि भूमि व मकान के संबंध में एक इकरारनामा (बंटवारा) दिनांक 02.09.1999 को अनरजिस्टर्ड निष्पादन हुआ हैं।

निगराकारान् व गैर निगराकार संख्या 01 के मध्य राजीनामा दिनांक 17.01.2020 को हुआ जिसमें गैर निगराकार संख्या 01 जमनालाल पुत्र रामबक्ष जाट निवासी चावण्डिया ने पटटे वाली भूमि को निगराकारान् के पक्ष में त्याग किया गया है।

निगराकारान् ने निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की हैं कि पटटे संबंधी भूमि जमनालाल की पैतृक नहीं हैं एवं जमनालाल का कोई हक अधिकार नही हैं तथा ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये, विधि विरूद्व गैर निगराकार संख्या 01 को पटटा जारी कर दिया गया जिसे खारिज किये जाने हेतु प्रार्थना की हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि निगराकार ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया हैं, जिससे ज्ञात हो कि ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्व एवं बिना जांच किये गैर निगराकार संख्या 01 को पटटा जारी किया हैं। निगराकार ने निगरानी के साथ इकरारनामा (बंटवारा) दिनांक 02.09.1999 की फोटोप्रति प्रस्तुत की हैं, जिसमें गैर निगराकार संख्या 01 ने अपने पिता रामबक्ष पिता जगन्नाथ जाट के मकान में अपना हिस्सा निगराकारान् के पक्ष में त्याग किया है। उक्त इकरारनामा (बंटवारा) दिनांक 02.09.1999 अनुसार वादग्रस्त भूखण्ड गैर निगराकार संख्या 01 की पैतृक प्रतीत होती है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा पटटे वाली भूमि निगराकारान् के पक्ष मे त्याग करने की कार्यवाही एक मात्र पंजीयन अधिनियम की उल्लघंन करते हुये स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क की राजस्व हानि किया जाना स्पष्ट प्रकट होता हैं। निगराकार व गैर निगराकार संख्या 01 के मध्य हुये राजीनामा दिनांक 17.01.2020 को स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव –

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निगराकार व गैर निगराकार संख्या 01 के मध्य हुये राजीनामा दिनांक 17.01.2020 को अस्वीकार जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बनका खेडा तहसील कोटडी को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2020.02.27 17:45:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: